राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 156 सन 2018

अनवान :–

1. सीताराम 2 मुकेश कुमार पि. औकार उर्फ औकारमल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. औकार उर्फ औकारमल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. बाधो पत्नि भागीरथ जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3. विधा पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
4. सन्तोष 5 माया पुत्रिया औकार उर्फ औकारमल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

6 प्रबन्धक एचडीएफसी बैक शाखा सिरसा

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 07.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 9/9 की कुल 43 किता की कुल 10.3706हैक में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 213–1/3 हिस्सा है जो पूर्व मे वादीगण के दादा भागीरथ के नाम से दर्ज था वादीगण के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुआ है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 जो प्रतिवादी संख्या 1 की माता व वादीगण की दादी है प्रतिवादी संख्या 3 जो वादीगण की भूआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,5 जो वादीगण की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि में वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा भागीरथ के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त हो पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 का भी वाद भूमि में हक हिस्सा है तथा वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किया गया है जिसे प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया गया है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपना हक त्याग किया गया है राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 9/9 के कुल किता 43 की कुल 10.3706हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम 213–1/3 हिस्सा दज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–फेफाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सीताराम 2 मुकेश कुमार पि. औकार उर्फ औकारमल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 औकार उर्फ औकारमल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. बाधो पत्नि भागीरथ जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3. विधा पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
4. सन्तोष 5 माया पुत्रिया औकार उर्फ औकारमल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6 प्रबन्धक एचडीएफसी बैक शाखा सिरसा
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 156 सन 2018 निर्णय दिनांक–07.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 9/9 के कुल किता 43 की कुल 10.3706हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम 213–1/3 हिस्सा दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–फेफाना